



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2017—कार्तिक 26, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रकर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा", ब्रिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2017

क्रमांक: 1629/म.प्र.वि.नि.आ./2017 - विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 181 की उप धारा (2) खण्ड (जेड पी) के साथ पठित धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 जो म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 19.11.2010 को प्रकाशित हुआ था, में निम्नलिखित संशोधन करता है. अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम)
विनियम, 2010 में सातवाँ संशोधन [एआरजी-33(I)(vii), वर्ष 2017]

उपरोक्त विनियम में, विद्यमान विनियम 8, 9, 10 तथा 12.2 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

8. विद्युत सह-उत्पादन तथा ऊर्जा से नवीकरणीय स्रोतों हेतु खुली पहुंच :
- राज्य के भीतर ऊर्जा के विद्युत सह-उत्पादन तथा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अधीन पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में पर्याप्त क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन, खुली पहुंच प्रदान की जाएगी।
9. विद्युत सह-उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अनुसूचीकरण :
- (क) ऊर्जा का विद्युत सह-उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन का "अनुसूचीकरण" इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड, 2010, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाए, के उपबंधों के निबंधनों के अनुसूचीकरण के अध्यधीन होगा ।
- (ख) पवन, सौर, लघु जल एवं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ऊर्जा का उत्पादन "मैरिट ऑर्डर डिस्पैच प्रिंसिपल्स" के अध्यधीन नहीं होगा ।
- (ग) अन्य नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन/सह-उत्पादन के संयंत्र जिनकी क्षमता 2 मेगावाट तक ही हो सुयोग्यता के अनुसार पारेषण सिद्धांतों "मैरिट ऑर्डर डिस्पैच प्रिंसिपल्स" के अध्यधीन नहीं होगा ।
10. नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन/विद्युत सह-उत्पादन से विद्युत का आहरण :
- नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन/विद्युत सह-उत्पादन, ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के लिए अथवा उसके संयंत्र से विद्युत प्रदाय बंद होने की कालावधि के दौरान अथवा ऐसी अन्य आकस्मिकता के दौरान पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से विस्तृत रूप से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत के आहरण हेतु हकदार होंगे । ग्रिड के साथ संयंत्र के तुल्यकालन के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा की बिलिंग, खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में तुल्यकालन के लिए टैरिफ अनुसूची के अधीन अवधि एवं दर पर की जाएगी । अन्य प्रकरणों में, यह बिलिंग उच्च दाब औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जाएगी ।

- 12.2 चक्रण प्रभार, प्रति सहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, चक्रण प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार एवं ऐसे अन्य प्रभार, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अधीन समय-समय पर उसके खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में किये गये विनिश्चय के अनुसार लागू होंगे।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, the 15th November 2017

No. 1629- MPERC-2017- In exercise of the powers conferred by clause (zp) of sub-section (2) of section 181 read with clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-1) Regulations, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette on 19.11.2010, namely :-

**Seventh amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission
(Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy)
(Revision-1) Regulations, 2010 [ARG-33(I)(vii) of 2017]**

In the said Regulations, for the existing Regulations 8, 9, 10 and 12.2, the following regulations shall be substituted, namely :-

" 8. Open Access for Co-generation and Renewable Sources of Energy

Any person generating electricity from Co-generation and Renewable Sources of Energy shall have open Access under Section 42 of the Electricity Act, 2003, subject to the availability of adequate capacity in Transmission/Distribution Licensees' system within the State.